प्रतिलिपि
25.7.2024

2024/461

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

नरसी बनाम घिसाराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 315 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22.07.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 29.07.2024 को पेश हो। [initials]	
24.7.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 25.7.2024 को पेश हो। [initials]	नरसी Identified घीसाराम रेशमी [signature]
25.7.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्रस्तुत हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी-प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। [illegible] अलग से लिखाया जाकर शामिल [illegible] किया जावे। पत्रावली नक्शा [illegible] बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:16:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :–345/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

नरसी पुत्र घिसाराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. घिसाराम पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. रेशमी पुत्री घिसाराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री नन्दलाल गोल्याण वकील–वादी
श्री सुभाष नेहरा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांकः– 25-07-2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 4 एस.पी. एम. के प.नं. 217/417 मु.न. 16 के किला नं. 4/5 की 0.0130 है., 5/1 की 0.2280 है., 5/2 की 0.0250 है. गै.मु.खाला, 6 की 0.2530 है., 15 की 0.2530 है., 16 की 0.2530 है., 25/2 की 0.2400 है. कुल 1.2650है0 क0मय गै.मु.खाला भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25-07-2024 .को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:16:38 IST
Reason: SelfAttested